न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सथूर

वाद संख्याः– 103/प्रा0पत्र/2020

श्रीकालूजी पितृ महाराज स्थान देह ग्राम ढाकणी जर्ये निकटतम मित्र भक्तगण एवं दर्शनार्थी –

1. दोलतराम आ0 मोटा जी आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. शिवराज आ0 पन्नालाल आयु 40 वष्र जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. खाना आ0 जगना आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम बडौदिया– माल की माताजी पुजारी, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा0 हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 251 (क) आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 21/10/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 799 रकबा 17 बिस्वा, 828 रकबा 1 बीघा 829 रकबा 8 बिस्वा, 833 रकबा 5 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा गे0मु0 देवस्थान के नाम दर्ज वाके ग्राम ढाकणी तहसील हिण्डझेली जिला बून्दी में स्थित है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 799, 828, 829, 833 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में से कुछ भूमि पर श्रीकालूजी महाराज का मंदिर बना हुआ है तथा कुछ भूमि पर कृषि होती है। उक्त कृषि भूमि व मंदिर पर दर्शनार्थी व भक्तजनों आदि के आने जाने हेतु रास्ता ग्राम ढाकणी की भूमि खसरा संख्या 801 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में बना हुआ है। उक्त रास्ता आगे चलकर बाबूलाल कुमावत के मकान के पास बनी हुई ग्रेवल सडक से विधुत ग्रेड के पास होकर एन0एच0 52 पर पहुंचता है। उक्त रास्ते का नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। एन0एच0 पक्की सडक से विधुत ग्रेड के पास होकर बाबूलाल के मकान के सामने से दांता जाने हेतु ग्रेवल सडक बनी हुई है जिसमें रास्ता घोषित करवाने की आवश्यकता नही है। प्रार्थीगण को केवल खसरा संख्या 801 में ही रास्ते की घोषणा करवानी है। खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी),

रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म बंजड सिवायचक दर्ज है। खसरा संख्या 801 में ही सिंचाई का धोरा बना हुआ है जिसमें एक गटठा चौडाई में धोरा बनने के बाद लगभग 3 गटठा भूमि शेष बचती है जिसमें रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सिंचाई के धोरे के सहारे बना हुआ है लेकिन खसरा संख्या 801 के दोनों तरफ खातेदारी की भूमियां होने के कारण खसरा संख्या 801 के पडोसी खातेदार खसरा संख्या 801 की भूमि को अपने खेतों में मिलाने का प्रयास करते है। इस कारण खसरा संख्या 801 सिवायचक भूमि पर रास्ता घोषित किया जाना व राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज कर रास्ते की तरमीम किया जाना आवश्यक है। ग्राम ढाकणी के माल में श्रीकालूजी पितृ महाराज का स्थान स्थित है जहां पर श्रीकालूजी पितृ महाराज का मंदिर वर्षो पूर्व से बना हुआ है। प्रार्थी 1 व 2 दर्शनार्थी है व प्रार्थी संख्या 3 उक्त स्थान का पुजारी है। श्रीकालूजी पितृ महाराज की मूर्ति उक्त मंदिर पर विराजमान है। उक्त मंदिर पर आने जाने हेतु मौके पर रास्ता खसरा संख्या 801 में विधमान है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। श्रीकालूजी पितृ महाराज भूमि मंदिर शास्वत नाबालिग है जिसकी ओर से प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। श्रीकालूजी पितृ महाराज माली समाज के टांक गोत्र के पूर्वज है जो टांक गोत्र के माली समाज के व्यक्तियों व अन्य सभी समाज के व्यक्तियों की आस्ता व श्रद्वा का केन्द्र है। बाबा श्रीकालूजी पितृ महाराज के स्थान पर वर्षो पुराना मंदिर बना हुआ है जहां पर सभी माली समाज के व्यक्ति व अन्य लोग बाबा के दर्शन करने आते है ओर भक्तजनों ने वही पर रसोई व कीर्तन आदि करने के लिये धर्मशाला बना रखी है व पानी की व्यवस्था हेतु मौके पर दो हैण्डपम्प लगा रखे है। सथूर विधुत ग्रेड से दांता जाने वाली ग्रेवल सडक से बाबूलाल कुमावत के मकान के पास से श्रीकालूजी पितृ महाराज के स्थान पर जाने वाला रास्ता जो खसरा संख्या 801 में स्थित है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। प्रार्थीगण खसरा संख्या 801 पर रास्ते की घोषणा करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पूर्व में रास्ता दर्ज करवाने हेतु श्रीमान को दिनांक 10.05.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया था जिस पर श्रीमान के आदेश की पालना में पटवारी हल्का सथूर ने उक्त रास्ते का मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 को तैयार की है जो संलग्न प्रार्थना पत्र है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सथूर द्वारा भी रास्ता रिकार्ड में दर्ज करने व रास्ता सुचारू करने हेतु प्रस्ताव पारित किया है जिसकी भी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। खसरा संख्या 801 में बने हुये उक्त रास्ता जो नक्शे में लाईनिंग के रूप में दर्ज किया हुआ है जिस पर समीपवर्ती काश्तकार अपने खेतो की मेडों को तोड कर रास्ते को खेतों में मिलाते है जिससे मौके पर आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस कारण प्रार्थीगण के पास खसरा संख्या 801 में रास्ता घोषित करवाने व रास्ते का सुचारू करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। प्रार्थना पत्र श्रीकालूजी पितृ महाराज की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें प्राथीगण का कोई निजि हित–लाभ नही है और देवस्थान मंदिर मूर्ति श्रीकालूजी पितृ महाराज के लिए खसरा संख्या 801 सिवायचक भूमि पर रास्ता घोषित करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

में अवाप्त भूमि की प्रतिकर राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया ग्राम ढाकणी तहसील हिण्डोली में स्थित होने से उक्त स्थान श्रीमान के न्यायालय क्षेत्र में होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि भूमि खसरा संख्या 799, 828, 829, 833 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ढाकणी पर पहुंचने हेतु खसरा संख्या 801 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में 15 फिट चौडा रास्ता सिंचाई के धोरे के सहारे घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में रास्ता दर्ज कर रास्ते की नक्शे में तरमीम करने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सथूर पर पेश हुई। अप्रार्थी की ओर से पत्र कमांक :– राजस्व/21/144 दिनांक 21.10.2021 से चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित है। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण को देवस्थान पर आने–जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है। इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की घोषणा की जावे ताकि प्रार्थीगण देवस्थान कालू जी पितृ महाराज पर आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग कर सकें। रास्ता घोषित किये जाने में जो भी राजकीय राशि जमा होगी वह प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ते की घोषणा की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपने पत्र कमांक :– 144/राजस्व/2021 दिनांक 21.10.2021 से रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण को ग्राम ढाकणी की सिवायचक भूमि खसरा संख्या 799, 828, 829, 833 में स्थित गैर मु0 देवस्थान हेतु खसरा संख्या 801 रकबा 2.07 बीघा सिवायचक भूमि में से 15 फिट चौडा रास्ता चाहते है। उक्त खसरा नम्बर 801 की किस्म बंजड दर्ज है किन्तु मौके पर धोरा बना हुआ है जिसमें से आस–पास के खेतों में सिंचाई होती है। उक्त धोरा चालू है। मुताबिक राजस्व नक्शे अनुसार उक्त धोरे से रास्ता व धोरा दोनों नही निकाले जा सकते है। वर्तमान में देवस्थान भूमि पर मुताबिक राजस्व नक्शा अनुसार खातेदारों की भूमि खसरा संख्या 898, 899, 890, 831, 832 से होते हुये रास्ता बना हुआ है। वर्तमान में उक्त रास्ता चालू है।

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा देवस्थान पर जाने हेतु रास्ते की घोषणा चाही गई है। धारा 251(क) आर0टी0एक्ट में इस न्यायालय को खातेदारों को उनकी भूमि पर आने–जाने हेतु नवीन रास्ते की घोणा/रास्ते को चौडा करना व पाईपलाईन बिछाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

दिये जाने के अधिकार दिये गये है। देवस्थान हेतु रास्ते की घोषणा बाबत अनुतोष ये जाने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नही होने/अधिकार क्षेत्र में नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सथूर में सरेआम सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली(बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)